

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 1803 / स्व.भा.मि. / जि.पं. / निविदा / 2017 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06 / 07 / 2017
प्रति,

महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर

विषय — निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन विषयक।

—00—

विषयांतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संलग्न कर संप्रेषित है, कृपया निविदा सूचना का प्रकाशन 8x10 सेमी0 में 01 राज्य स्तरीय तथा 01 जिला स्तरीय समाचार पत्र में करने का कष्ट करें।

निविदा सूचना प्रकाशन से संबंधित देयक अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, कोरिया

पृ0क्रमांक / 1804 / स्व.भा.मि. / जि.पं. / निविदा / 2017 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06 / 07 / 2017
प्रतिलिपि —

1. कलेक्टर, कोरिया को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, कोरिया

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 1805 / स्व.भा.मि./जि.पं./निविदा/2017 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/07/2017

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला पंचायत कोरिया के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं –

- | | | |
|-------------------|---|--|
| निविदा क्रमांक 01 | – | किराये पर वाहन लिये जाने हेतु। |
| निविदा क्रमांक 02 | – | वॉल पेंटिंग एवं नारा लेखन कार्य हेतु। |
| निविदा क्रमांक 03 | – | कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य। |
| निविदा क्रमांक 04 | – | वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी हेतु। |
| निविदा क्रमांक 05 | – | पम्पलेट, पोस्टर तथा फ्लेक्स मुद्रण हेतु। |

इच्छुक व्यक्ति, एजेंसी, संस्था निविदा की नियम व शर्तों व अन्य जानकारी के लिये कोरिया जिले के शासकीय वेबसाइट www.cg.nic.in/korea में अवलोकन कर सकते हैं। प्रति निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 500/- (नॉन रिफंडेबल) का बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष/सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला कोरिया के नाम से देय होगा।

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि | – | 29 जुलाई 2017, सांय 05 बजे तक |
| निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि | – | 31 जुलाई 2017, सांय 04 बजे तक |
| निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि | – | 31 जुलाई 2017, सांय 05 बजे तक |

निविदाएं डाकघर के स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में आवक शाखा में नियमानुसार जमा किया जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, कोरिया

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

टेलीफोन नं. -07836232885

E-mail -

मानीटरिंग, कलाजत्था कार्यक्रम एवं वातावरण निर्माण हेतु किराये में वाहन लिये जाने हेतु निविदा :-

निविदा आमंत्रण – क्रमांक 01

- निविदा प्रपत्र का मूल्य – 500 रु।
- निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि – 29 जुलाई 2017 ।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय – प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2017 सायं 4.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि – 31 जुलाई 2017, सायं 05 बजे
- निविदा प्रपत्र प्रपत्र के पृष्ठों की कुल संख्या – 07
- निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम –
- निविदा प्रपत्र का क्रमांक – दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , छत्तीसगढ़

शर्तें एवं अन्य जानकारी :-

जिला पंचायत कोरिया द्वारा वर्ष 2017-18 में मानीटरिंग, कलाजत्था एवं वातावरण निर्माण हेतु प्रचार रथ के लिये किराये में वाहन लिये जाना प्रस्तावित है। जिले के वाहन मालिकों/ट्रैवल कम्पनी से निम्नानुसार वाहनों को किराये में लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0	वाहन का प्रकार	किराये में लिये जाने की अवधि
1	बोलेरो / स्कार्पियो	माह में अधिकतम 24 दिवस
2	जायलो / इनोवा	माह में अधिकतम 24 दिवस
3	407 / पिक-अप	आवश्यकतानुसार
4	छोटा हांथी	आवश्यकतानुसार
5	बस (25सीटर)	आवश्यकतानुसार
6	बस (50सीटर)	आवश्यकतानुसार
7	ट्रक (06चक्का)	आवश्यकतानुसार

निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद भरी हुई निविदा दिनांक 31 जुलाई 2017 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। समिति के द्वारा वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर व शर्तों के आधार पर वाहन का चयन किया जायेगा।

अर्हता -

1. वाहन (बोलेरो/स्कार्पियो/जायलो/इनोवा) का पंजीयन टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
2. वाहन आर0टी0ओ0 कार्यालय में पंजीकृत हो।
3. वाहन का रोड टैक्स जमा किया गया हो व बीमा समेकित कराया गया हो।
4. वाहन के संबंधित पर्यावरण का प्रमाण-पत्र लिया गया हो।
5. वाहन चालक के पास अपेक्षित ड्राईविंग लाईसेंस (एल.एम.व्ही/कमर्शियल) उपलब्ध हो।
6. वाहन 03 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
7. वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी का बैंक खाता हो।

निविदा प्रस्तुतकर्ता को निम्नानुसार अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी -

1. एक बड़े लिफाफे में, जिसके ऊपर निविदा सूचना क्र0 1805/दिनांक 06.07.2017, मानीटरिंग, कलाजत्था एवं वातावरण निर्माण हेतु किराये में वाहन लिये जाने हेतु निविदा लिखा जाए। इस लिफाफे पर निविदा प्रस्तुत करने वाले वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी का नाम व पता अंकित किया जाए। इस लिफाफे के अंदर निम्नानुसार दो लिफाफे रखे जाए

—

A. लिफाफा "अ" के अंतर्गत -

1. वाहन का पंजीयन टैक्सी परमिट की छाया प्रति।

2. वाहन आर0टी0ओ0 कार्यालय में पंजीकृत हो।
3. वाहन का रोड टैक्स व बीमा संबंधित अभिलेख।
4. पर्यावरण संबंधी प्रमाण-पत्र।
5. वाहन चालक की जानकारी एवं ड्राइविंग लाईसेंस (एल.एम.व्ही/कमर्शियल)।
6. वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी की जानकारी।

B. लिफाफा "ब"

वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी द्वारा प्रस्तुत (प्रति दिवस) किराये की दर, आवेदन पत्र भाग-2 रखा जाए।

विशेष – सर्वप्रथम समिति के समक्ष संस्थान द्वारा जमा किया गया "अ" लिफाफा खोला जाएगा। जिसके नियमानुसार आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख सही पाये जाने पर ही, दर से संबंधित "ब" लिफाफा खोला जायेगा।

1. निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया छ0ग0 पिन कोड-497335 के पते पर दिनांक 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुंच जाना चाहिए। निविदा के लिफाफों को 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 5.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में खोला जाएगा।
2. निविदा में मानीटरिंग, कलाजत्था एवं वातावरण निर्माण हेतु प्रचार रथ के लिये किराये में वाहन लिये जाने हेतु वाहन किराये की दर अंकित की जाए। (किराये की दर/शुल्क प्रति दिन एवं प्रतिमाह के मान से पृथक-पृथक दी जाए)।
3. इच्छुक वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी को निविदा, निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर देना होगा। अन्य प्रपत्रों में दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
4. कार्यालय द्वारा किराये के वाहन हेतु, जिन वाहनों को नियोजित किया जायेगा, केवल उन्ही वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।
5. वाहन में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के अनुमोदन पश्चात् ही किया जा सकेगा।
6. वाहन मालिक/ट्रैवल कम्पनी द्वारा वाहन का रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा। वाहन मुख्यालय में रहने अथवा मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई भी अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
7. वाहन किराये पर माह में अधिकतम 24 दिवस अथवा आवश्यकतानुसार दिवस हेतु लिया जावेगा।
8. वाहन से संबंधित सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान वाहन मालिक अथवा ट्रैवल एजेंसी के संचालक के द्वारा किया जावेगा।
9. वाहन चालक से संबंधित व्यय/मानदेय का भुगतान वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी संचालक के द्वारा किया जावेगा।
10. वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन चालक की वैकल्पिक व्यवस्था वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी के द्वारा की जावेगी, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी की होगी।
11. वाहन मरम्मत, रखरखाव व अन्य खर्चे वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी के संचालक द्वारा देय होगा।
12. वाहन के खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी के संचालक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
13. किराये पर लिये जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में न होने पर तत्काल हटा दिया जावेगा, तथा देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
14. प्रतिदिन वाहन चालन से संबंधित लॉग-बुक/लॉग कार्ड वाहन चालक के द्वारा नियमानुसार भरना होगा तथा वाहन का प्रयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा।

15. किराये पर लिये गये वाहन से संबंधित देयक के साथ लॉग बुक/लॉग कार्ड की मूल प्रति जमा करनी होगी।
16. किराये में वाहन लिये जाने के अन्तर्गत समयावधि का निर्धारण करने का अधिकार विभाग का होगा।
17. निविदा की दर स्वीकृत होने के उपरांत वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी संचालक को 100 रु0 के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा।
18. विभाग द्वारा 15 दिवस पूर्व वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी संचालक को सूचित कर किराये पर लिये गये वाहन को हटाने का विकल्प होगा।
19. शर्तों का उल्लंघन करने पर किराये पर लिये गये वाहन को हटाया जा सकेगा, तथा संबंधित वाहन के देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
20. कार्यालय द्वारा पी0ओ0एल0 उपलब्ध कराने अथवा वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी द्वारा पी0ओ0एल0 की व्यवस्था करने की स्थिति में बोलेरो/स्कार्पियो, जायलो/इनोवा के लिये 10 कि0मी0 प्रति ली0 एवं 407/पिक-अप, छोटा हांथी के लिये 20 कि0मी0/ली0, बस (25/50सीटर) के लिये 06 कि0मी0/ली0, ट्रक के लिये 05 कि0मी0/ली0 माईलेज की गणना की जावेगी।
21. निविदा द्वारा निर्धारित किराये की दर 31 मार्च 2018 तक प्रभावशील होगी।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, कोरिया का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा, कि निविदा में निर्धारित समस्त शर्तें प्रस्तुतकर्ता को मान्य है।

निविदा स्वीकार करने की प्रक्रिया –

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं से प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा के आधार पर किराये में वाहन लिये जाने हेतु दर मान्य की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट/उपरिलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने की लिखित सूचना के एक सप्ताह के अंदर, सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को शर्तों के अधीन 100/- के स्टाम्प पेपर में 31 मार्च 2018 तक किराये पर वाहन प्रदान करने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।
4. अनुमोदित किराये की दर अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि में वाहन किराये दर में किसी भी तरह वृद्धि संभव नहीं होगी।
5. अनबंधित दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि का भुगतान संभव नहीं होगा।
6. न्यूनतम दर के आधार पर अधिकतम 2 निविदा प्रस्तुतकर्ता वाहन मालिक/ट्रैवल एजेंसी से किराये में वाहन लिये जाने हेतु अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया द्वारा किया जा सकेगा, बशर्ते निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा वांछित शर्तों व नियमों का विधिवत् पालन किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

टेलीफोन नं. -07836232885

E-mail -

प्रचार-प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग एवं नारा लेखन कार्य किये जाने हेतु निविदा :-

निविदा आमंत्रण – क्रमांक 02

- निविदा प्रपत्र का मूल्य – 500 रु।
- निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि – 29 जुलाई 2017 ।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय – प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2017 सायं 4.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि – 31 जुलाई 2017, सायं 05 बजे
- निविदा प्रपत्र प्रपत्र के पृष्ठों की कुल संख्या – 07
- निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम –
- निविदा प्रपत्र का क्रमांक – दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , छत्तीसगढ़

शर्तें एवं अन्य जानकारी :-

जिला पंचायत कोरिया द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रचार-प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग एवं नारा लेखन कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। जिले के पेंटर / एजेंसी से निम्नानुसार कार्य हेतु हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का प्रकार	विशिष्टता	साईज
1	वॉल पेंटिंग	बैकग्राउण्ड में प्राईमर के बाद (इमलशन) मल्टी कलर पेंटिंग / चित्रात्मक कार्य	6x3 fit x 4
2	नारा लेखन	बैकग्राउण्ड में प्राईमर के बाद (इमलशन पेंट) मल्टी कलर पेंटिंग कार्य	4x 3 fit

विशेष – वॉल पेंटिंग व नारा लेखन का कार्य जिले के पॉचों विकासखण्डों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराया जाना है। 01 ग्राम में लगभग 10 नारे लेखन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद भरी हुई निविदा दिनांक 31 जुलाई 2017 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। समिति के द्वारा पेंटर / एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दर व शर्तों के आधार पर चयन किया जायेगा।

अर्हता –

1. ब्रश, प्राईमर, इमलशन पेंट, पेंटर / एजेंसी को स्वयं क्रय करना होगा
2. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग का कार्य जिले के पॉचों विकासखण्डों के ग्राम पंचायत स्तर तक करना होगा।
3. पेंटिंग कार्य के लिये पृथक से कोई भी राशि देय नहीं होगी।
4. किये जाने वाले वॉल रायटिंग व वॉल पेंटिंग कार्य में क्रमशः बढ़ते क्रम में नंबर अंकित करने होंगे।
5. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग के बाद मोबाईल से फोटो खींचकर सी.डी./ड.व्ही.डी. में कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. पेंटर / एजेंसी को शासकीय विभागों में किये गये कार्य से संबंधित आदेश / कार्यानुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. पेंटर / एजेंसी को यदि कोई पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र/ सम्मान प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण देना होगा किन्तु यह वैकल्पिक होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता को निम्नानुसार अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी –

1. एक बड़े लिफाफे में, जिसके ऊपर निविदा सूचना क्र0 1805 /दिनांक 06.07.2017, प्रचार-प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग एवं नारा लेखन कार्य हेतु निविदा लिखा जाए। इस लिफाफे पर निविदा प्रस्तुत करने वाले पेंटर / एजेंसी का नाम व पता अंकित किया जाए। इस लिफाफे के अंदर निम्नानुसार दो लिफाफे रखे जाए –

A लिफाफा “अ” के अंतर्गत –

1. पेंटर / एजेंसी को शासकीय विभागों में किये गये कार्य से संबंधित आदेश / कार्यानुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. पेंटर / एजेंसी को यदि कोई पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र / सम्मान प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण देना होगा किन्तु यह वैकल्पिक होगा।

B. लिफाफा “ब”

पेंटर / एजेंसी द्वारा प्रस्तुत वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग की दर, आवेदन पत्र भाग-2 रखा जाए।

विशेष – सर्वप्रथम समिति के समक्ष संस्थान द्वारा जमा किया गया “अ” लिफाफा खोला जाएगा। जिसके नियमानुसार आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख सही पाये जाने पर ही, दर से संबंधित “ब” लिफाफा खोला जायेगा।

1. निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया छ0ग0 पिन कोड-497335 के पते पर दिनांक 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुंच जाना चाहिए। निविदा के लिफाफों को 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 5.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में खोला जाएगा।
2. निविदा में प्रचार-प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग एवं नारा लेखन कार्य हेतु दर अंकित की जाए। (वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग की दर / शुल्क पृथक-पृथक दी जाये)
3. इच्छुक पेंटर / एजेंसी को निविदा, निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर देना होगा। अन्य प्रपत्रों में दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
4. कार्यालय द्वारा वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य हेतु जिन पेंटर / एजेंसी को नियोजित किया जायेगा, केवल उन्हीं पेंटर / एजेंसी को अपने सहयोगी के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।
5. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के अनुमोदन पश्चात् ही किया जा सकेगा।
6. पेंटर / एजेंसी द्वारा वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य हेतु आवश्यक इमलसन पेंट व आवश्यक सामग्री की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। पेंटर / एजेंसी को जिले के अंदर आने-जाने हेतु कोई भी राशि पृथक से देय नहीं होगी।
7. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य को नियत समय-सीमा में पूर्ण किया जाना होगा।
8. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य हेतु सहयोगियों की समस्त आवश्यकता व्यवस्थायें पेंटर / एजेंसी को करना होगा।
9. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य अंतर्गत सहयोगियों को नियोजित किये जाने की स्थिति में संबंधितों का व्यय / मानदेय का भुगतान पेंटर / एजेंसी के द्वारा किया जावेगा।
10. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य निर्देशानुसार न किये जाने की स्थिति पर संबंधित पेंटर / एजेंसी को तत्काल हटा दिया जावेगा तथा देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।

11. प्रतिदिन वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य की प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को दूरभाष / व्हाट्स एप के द्वारा दिया जाना होगा।
12. वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य समाप्ति पर संबंधित देयक के साथ वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य की नंबरिंग की ली गयी फोटो सी.डी. / डी.व्ही.डी. में संलग्न कर जमा की जानी होगी।
13. निविदा की दर स्वीकृत होने के उपरांत पेंटर / एजेंसी को 100 ₹ के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा।
14. विभाग द्वारा 07 दिवस पूर्व पेंटर / एजेंसी को सूचित कर अनुबंधित पेंटर / एजेंसी को हटाने का विकल्प होगा।
15. शर्तों का उल्लंघन करने पर पेंटर / एजेंसी को हटाया जा सकेगा, तथा संबंधित पेंटर / एजेंसी के देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
16. निविदा द्वारा निर्धारित दर 31 मार्च 2018 तक प्रभावशील होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, कोरिया का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा, कि निविदा में निर्धारित समस्त शर्तें प्रस्तुतकर्ता को मान्य है।

निविदा स्वीकार करने की प्रक्रिया –

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं से प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा के आधार पर वॉल पेंटिंग / वॉल रायटिंग हेतु दर मान्य की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट / उपरिलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने की लिखित सूचना के एक सप्ताह के अंदर, सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को शर्तों के अधीन 100/- के स्टाम्प पेपर में 31 मार्च 2018 तक वॉल पेंटिंग / वॉल रायटिंग किये जाने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।
4. अनुमोदित किराये की दर अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि में वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग कार्य करने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।
5. अनबंधित दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि का भुगतान संभव नहीं होगा।
6. न्यूनतम दर के आधार पर अधिकतम 2 निविदा प्रस्तुतकर्ता पेंटर / एजेंसी से वॉल पेंटिंग व वॉल रायटिंग करार्य हेतु अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया द्वारा किया जा सकेगा, बशर्ते निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा वांछित शर्तों व नियमों का विधिवत् पालन किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

टेलीफोन नं. -07836232885

E-mail -

कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य हेतु निविदा :-

निविदा आमंत्रण – क्रमांक 03

- निविदा प्रपत्र का मूल्य – 500 रु।
- निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि – 29 जुलाई 2017 ।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय – प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2017 सायं 4.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि – 31 जुलाई 2017, सायं 05 बजे
- निविदा प्रपत्र प्रपत्र के पृष्ठों की कुल संख्या – 07
- निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम –
- निविदा प्रपत्र का क्रमांक – दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , छत्तीसगढ़

शर्तें एवं अन्य जानकारी :-

जिला पंचायत कोरिया द्वारा वर्ष 2017-18 में कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। जिले के कलाजत्था दल / एजेंसी से निम्नानुसार कार्य हेतु हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का प्रकार	प्रति दिवस प्रस्तुति की संख्या	01 प्रस्तुति का समय
1	कलाजत्था के द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य	03	02 घण्टे

विशेष – जिले के पाँचों विकासखण्डों के अंतर्गत कुल 45 दिवस कलाजत्था के द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित कराया जाना अनुमानित है। निर्धारित दिवस की संख्या परिवर्तनशील हो सकती है।

निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद भरी हुई निविदा दिनांक 31 जुलाई 2017 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। समिति के द्वारा कलाजत्था के दल / एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दर व शर्तों के आधार पर चयन किया जायेगा।

अर्हता –

1. कलाजत्था के कलाकारों को निर्धारित वेश-भूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।
2. कलाजत्था के कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु आवश्यक वाद्ययंत्र की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
3. कलाजत्था के दल में कार्यक्रम प्रस्तुति के अंतर्गत नर्तक/नर्तकी न्यूनतम 02-02 होना आवश्यक है।
4. कलाजत्था दल की प्रस्तुति के लिये साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था दल / एजेंसी को करनी होगी।
5. कलाजत्था कार्यक्रम की प्रस्तुति से संबंधित वीडियो व क्लिपिंग मोबाईल से तैयार कर निर्धारित व्हाट्स एप ग्रुप में भेजना होगा।
6. कलाजत्था दल / एजेंसी को शासकीय विभागों में किये गये कार्य से संबंधित आदेश / कार्यानुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. कलाजत्था दल / एजेंसी को यदि कोई पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र / सम्मान प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण देना होगा किन्तु यह वैकल्पिक होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता को निम्नानुसार अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी –

1. एक बड़े लिफाफे में, जिसके ऊपर निविदा सूचना क्र0 1805 /दिनांक 06.07.2017, कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य हेतु निविदा लिखा जाए। इस

लिफाफे पर निविदा प्रस्तुत करने वाले पेंटर / एजेंसी का नाम व पता अंकित किया जाए। इस लिफाफे के अंदर निम्नानुसार दो लिफाफे रखे जाए –

A लिफाफा “अ” के अंतर्गत –

1. कलाजत्था दल / एजेंसी को शासकीय विभागों में किये गये कार्य से संबंधित आदेश / कार्यानुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. कलाजत्था दल / एजेंसी को यदि कोई पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र / सम्मान प्राप्त हुआ हो तो उसका विवरण देना होगा किन्तु यह वैकल्पिक होगा।

B. लिफाफा “ब”

कलाजत्था दल / एजेंसी द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु दर, आवेदन पत्र भाग-2 रखा जाए।

विशेष – सर्वप्रथम समिति के समक्ष संस्थान द्वारा जमा किया गया “अ” लिफाफा खोला जाएगा। जिसके नियमानुसार आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख सही पाये जाने पर ही, दर से संबंधित “ब” लिफाफा खोला जायेगा।

1. निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया छ0ग0 पिन कोड-497335 के पते पर दिनांक 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुंच जाना चाहिए। निविदा के लिफाफों को 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 5.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में खोला जाएगा।
2. निविदा में कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु दर अंकित की जाए।
3. इच्छुक कलाजत्था दल / एजेंसी को निविदा, निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर देना होगा। अन्य प्रपत्रों में दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
4. कार्यालय द्वारा कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य हेतु जिन कलाजत्था दल / एजेंसी को नियोजित किया जायेगा, केवल उन्हीं कलाजत्था दल/एजेंसी को अपने सहयोगी के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।
5. कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के अनुमोदन पश्चात् ही किया जा सकेगा।
6. कलाजत्था दल / एजेंसी द्वारा कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक परिधान, मेकअप सामग्री, वाद्य यंत्र एवं साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित किया जावेगा। कलाजत्था दल / एजेंसी को जिले के अंदर आने-जाने हेतु कोई भी राशि पृथक से देय नहीं होगी।
7. कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्य को नियत समय-सीमा में पूर्ण किया जाना होगा।
8. कलाजत्था के द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार समस्त आवश्यकता व्यवस्थायें कलाजत्था दल / एजेंसी को करना होगा। कार्यालय द्वारा कलाजत्था दल को वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
9. कलाजत्था दल का चयन उनकी प्रस्तुति के आधार पर किया जावेगा। न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले 03 कलाजत्था दल / एजेंसी को प्रस्तुतिकरण के लिये जिला पंचायत में उपस्थित होना होगा।
10. समिति के समक्ष कलाजत्था दल की प्रस्तुति के उपरांत योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये अंतिम रूपेण दल का चयन, चयन समिति के द्वारा किया जावेगा।
11. कलाजत्था निर्धारित एवं निर्देशानुसार न किये जाने की स्थिति पर संबंधित कलाजत्था / एजेंसी को तत्काल हटा दिया जावेगा तथा दये का भुगतान भी रोकार जा सकेगा।

12. प्रतिदिन कलाजत्था दल की प्रस्तुति विषयक जानकारी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को दूरभाष / व्हाटस एप के द्वारा दिया जाना होगा।
13. निविदा की दर स्वीकृत होने के उपरांत कलाजत्था दल / एजेंसी को 100 रु0 के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा।
14. विभाग द्वारा 07 दिवस पूर्व कलाजत्था दल / एजेंसी को सूचित कर अनुबंधित कलाजत्था / एजेंसी को हटाने का विकल्प होगा।
15. शर्तों का उल्लंघन करने पर कलाजत्था दल / एजेंसी को हटाया जा सकेगा, तथा संबंधित कलाजत्था दल / एजेंसी के देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
16. निविदा द्वारा निर्धारित दर 31 मार्च 2018 तक प्रभावशील होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, कोरिया का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा, कि निविदा में निर्धारित समस्त शर्तें प्रस्तुतकर्ता को मान्य है।

निविदा स्वीकार करने की प्रक्रिया –

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं से प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा के आधार कलाजत्था के द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु दर मान्य की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट / उपरिलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने की लिखित सूचना के एक सप्ताह के अंदर, सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को शर्तों के अधीन 100/- के स्टाम्प पेपर में 31 मार्च 2018 तक कलाजत्था दल / एजेंसी द्वारा कार्य करने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।
4. अनुमोदित दर अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि में कलाजत्था के द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।
5. अनुबंधित दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि का भुगतान संभव नहीं होगा।
6. न्यूनतम दर के आधार पर अधिकतम 3 निविदा प्रस्तुतकर्ता कलाजत्था दल / एजेंसी से योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया द्वारा किया जा सकेगा, बशर्ते निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा वांछित शर्तों व नियमों का विधिवत् पालन किया जाए।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0**

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

टेलीफोन नं. -07836232885

E-mail -

फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु निविदा :-

निविदा आमंत्रण – क्रमांक 04

- निविदा प्रपत्र का मूल्य – 500 रु।
- निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि – 29 जुलाई 2017 ।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय – प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2017 सायं 4.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि – 31 जुलाई 2017, सायं 05 बजे
- निविदा प्रपत्र प्रपत्र के पृष्ठों की कुल संख्या – 07
- निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम –
- निविदा प्रपत्र का क्रमांक – दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , छत्तीसगढ़

शर्तें एवं अन्य जानकारी :-

जिला पंचायत कोरिया द्वारा वर्ष 2017-18 में फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराया जाना प्रस्तावित है। जिले के फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0	विवरण	अवधि
1	वीडियोग्राफी	03 घंटे
2	वीडियोग्राफी	06 घंटे
3	फोटोग्राफी	06x04 C.M.
4	डिजिटल फोटोग्राफी	01 घंटे

निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद भरी हुई निविदा दिनांक 31 जुलाई 2017 को सायं 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। समिति के द्वारा फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर द्वारा प्रस्तुत दर व शर्तों के आधार पर फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर का चयन किया जायेगा।

अर्हता -

1. फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर जिले के अन्तर्गत कार्यरत हो।
2. फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर की स्वयं की दुकान/स्टूडियो हो।
3. फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिये पृथक-पृथक कर्मचारी उपलब्ध हो।
4. जिले के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करने में सक्षम हो।
5. ग्रामीण अंचल में जाने व आने के लिये स्वयं का साधन उपलब्ध हो।

निविदा प्रस्तुतकर्ता को निम्नानुसार अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी -

1. एक बड़े लिफाफे में, जिसके ऊपर निविदा सूचना क्र0 1805/दिनांक 06.07.2017, फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराये जाने हेतु निविदा लिखा जाए। इस लिफाफे पर निविदा प्रस्तुत करने वाले फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर का नाम व पता अंकित किया जाए। इस लिफाफे के अंदर निम्नानुसार दो लिफाफे रखे जाए -

B. लिफाफा "अ" के अंतर्गत -

1. स्वयं की दुकान/स्टूडियो होने का प्रमाण पत्र।
2. फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिये पृथक-पृथक कर्मचारी उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र।
3. शासकीय विभाग अन्तर्गत कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र अथवा संबंधित अभिलेख।

B. लिफाफा "ब"

फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर द्वारा प्रस्तुत किराये की दर, आवेदन पत्र भाग-2 रखा जाए।

विशेष – सर्वप्रथम समिति के समक्ष संस्थान द्वारा जमा किया गया "अ" लिफाफा खोला जाएगा। जिसके नियमानुसार आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख सही पाये जाने पर ही, दर से संबंधित "ब" लिफाफा खोला जायेगा।

1. निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया छ0ग0 पिन कोड-497335 के पते पर दिनांक 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुंच जाना चाहिए। निविदा के लिफाफों को 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 5.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में खोला जाएगा।
2. निविदा में फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराये जाने हेतु दर अंकित की जाए।
3. इच्छुक फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर को निविदा, निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर देना होगा। अन्य प्रपत्रों में दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
4. कार्य में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के अनुमोदन पश्चात् ही किया जा सकेगा।
5. फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर द्वारा कैमरे का रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा।
6. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु कार्यदेश आवश्यकतानुसार दिया जावेगा।
7. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु नियोजित कर्मचारियों का व्यय/मानदेय का भुगतान फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर के द्वारा किया जावेगा।
8. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु नियोजित कर्मचारी की अनुपस्थिति में फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर की व्यवस्था सफल निविदाकार के द्वारा की जावेगी।
9. वीडियो/डिजिटल कैमरा के खराब होने की स्थिति में फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर के द्वारा दूसरे कैमरे की व्यवस्था करनी होगी।
10. किराये पर लिये जाने वाले वीडियो/डिजिटल कैमरा अच्छी स्थिति में न होने पर तत्काल हटा दिया जावेगा, तथा देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
11. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कार्य ग्रामीण अंचल पर कराये जाने पर संबंधित कार्य के प्रभारी अधिकारी से किये जाने वाले कार्य का सत्यापन कराया जाना होगा।
12. फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के सत्यापन की मूल प्रति देयक के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी।
13. किराये में फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर के लिये समयावधि का निर्धारण करने का अधिकार विभाग का होगा।
14. निविदा की दर स्वीकृत होने के उपरांत फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर को 100 ₹0 के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा।
15. विभाग द्वारा 15 दिवस पूर्व फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर को सूचित कर अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा।
16. शर्तों का उल्लंघन करने पर किराये पर लिये गये फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर को हटाया जा सकेगा, तथा संबंधित फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
17. निविदा द्वारा निर्धारित किराये की दर 31 मार्च 2018 तक प्रभावशील होगी।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, कोरिया का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा, कि निविदा में निर्धारित समस्त शर्तें प्रस्तुतकर्ता को मान्य हैं।

निविदा स्वीकार करने की प्रक्रिया –

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं से प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा के आधार पर फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर लिये जाने हेतु दर मान्य की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट/उपरिलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने की लिखित सूचना के एक सप्ताह के अंदर, सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को शर्तों के अधीन 100/— के स्टाम्प पेपर में 31 मार्च 2018 तक किराये पर वाहन प्रदान करने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।
4. अनुमोदित दर अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि में वाहन किराये दर में किसी भी तरह वृद्धि संभव नहीं होगी।
5. अनुबंधित दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि का भुगतान संभव नहीं होगा।
6. न्यूनतम दर के आधार पर अधिकतम 2 निविदा प्रस्तुतकर्ता फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर हेतु अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया द्वारा किया जा सकेगा, बशर्ते निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा वांछित शर्तों व नियमों का विधिवत् पालन किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया, छत्तीसगढ़

टेलीफोन नं. -07836232885

E-mail -

फलेक्स, पेम्पलेट मुद्रण हेतु निविदा :-

निविदा आमंत्रण – क्रमांक 05

- निविदा प्रपत्र का मूल्य – 500 रु।
- निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि – 29 जुलाई 2017 ।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का समय – प्रातः 10.30 से सायं 5.00 बजे तक।
- निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 31 जुलाई 2017 सायं 4.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि – 31 जुलाई 2017, सायं 05 बजे
- निविदा प्रपत्र प्रपत्र के पृष्ठों की कुल संख्या – 07
- निविदा प्रपत्र प्राप्तकर्ता का नाम –
- निविदा प्रपत्र का क्रमांक – दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , छत्तीसगढ़

शर्तें एवं अन्य जानकारी :-

जिला पंचायत कोरिया द्वारा वर्ष 2017-18 में फ्लेक्स, पोस्टर तथा पम्पलेट मुद्रण हेतु लिये जाना प्रस्तावित है। जिले के फ्लेक्स, पोस्टर तथा पम्पलेट के मुद्रक से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0	विवरण	विशिष्टता
1	फ्लेक्स प्रिंटिंग	220 जीएसएम
2	फ्लेक्स प्रिंटिंग	स्टार
3	पम्पलेट प्रिंटिंग	सिंगल कलर (एक ओर मुद्रण)
4	पम्पलेट प्रिंटिंग	सिंगल कलर (दोनों ओर मुद्रण)
5	पम्पलेट प्रिंटिंग	मल्टी कलर 90 जीएसएम आर्ट पेपर (एक ओर मुद्रण)
6	पम्पलेट प्रिंटिंग	मल्टी कलर 90 जीएसएम आर्ट पेपर (दोनों ओर मुद्रण)

निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद भरी हुई निविदा दिनांक 31 जुलाई 2017 को सायं 400 बजे तक आमंत्रित की जाती है। समिति के द्वारा फ्लेक्स, पेम्पलेट के मुद्रकों के द्वारा प्रस्तुत दर व शर्तों के आधार पर मुद्रकों का चयन किया जायेगा।

अर्हता -

1. जिले में फ्लेक्स, पेम्पलेट मुद्रण कार्य किया जाता हो।
2. मुद्रक को टिन नंबर आबंटित हो।
3. मुद्रक द्वारा आयकर रिटर्न जमा किया जा रहा हो।
4. उक्त कार्य स्वयं के मुद्रणालय में किया जा रहा हो।
5. फ्लेक्स, पेम्पलेट मुद्रणालय में डिजाइन करने की सुविधा उपलब्ध हो।

निविदा प्रस्तुतकर्ता को निम्नानुसार अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी -

1. एक बड़े लिफाफे में, जिसके ऊपर निविदा सूचना क्र0 1805 /दिनांक 06.07.2017, फ्लेक्स, पेम्पलेट मुद्रण हेतु निविदा लिखा जाए। इस लिफाफे पर निविदा प्रस्तुत करने वाले फ्लेक्स, पेम्पलेट मुद्रक का नाम व पता अंकित किया जाए। इस लिफाफे के अंदर निम्नानुसार दो लिफाफे रखे जाए -

C. लिफाफा "अ" के अंतर्गत -

1. स्वयं का मुद्रणालय होने का घोषणा पत्र।
2. जिले में फ्लेक्स, पेम्पलेट मुद्रण कार्य किये जाने हेतु दस्तावेज
3. मुद्रक को आबंटित टिन नंबर की फोटोकॉपी।
4. मुद्रक द्वारा विगत 02 वर्षों के आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
5. शासकीय विभाग अन्तर्गत कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र अथवा संबंधित अभिलेख।

B. लिफाफा "ब"

मुद्रक द्वारा प्रस्तुत मुद्रण दर, आवेदन पत्र भाग-2 रखा जाए।

विशेष – सर्वप्रथम समिति के समक्ष संस्थान द्वारा जमा किया गया "अ" लिफाफा खोला जाएगा। जिसके नियमानुसार आवेदन में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख सही पाये जाने पर ही, दर से संबंधित "ब" लिफाफा खोला जायेगा।

1. निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया छ0ग0 पिन कोड-497335 के पते पर दिनांक 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुंच जाना चाहिए। निविदा के लिफाफों को 31 जुलाई 2017 को अपरान्ह 5.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में खोला जाएगा।
2. निविदा में फ्लेक्स, पोस्टर तथा पम्पलेट मुद्रण कराये जाने हेतु दर अंकित की जाए।
3. इच्छुक फ्लेक्स, पोस्टर तथा पम्पलेट मुद्रक को निविदा, निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर देना होगा। अन्य प्रपत्रों में दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।
4. कार्य में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के अनुमोदन पश्चात् ही किया जा सकेगा।
5. फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रक को कार्यादेश आवश्यकतानुसार दिया जावेगा।
6. फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रण हेतु नियोजित कर्मचारियों तथा कार्यालय को सामग्री प्रदाय किये जाने का व्यय/मानदेय का भुगतान फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रक के द्वारा किया जावेगा।
7. मुद्रण मशीन खराब होने की स्थिति में फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रक दुकान के संचालक के द्वारा मुद्रण की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
8. मुद्रित फ्लेक्स, पम्पलेट का मुद्रण ठीक तरह से न होने पर मुद्रक को कार्यादेश सूची से तत्काल हटा दिया जावेगा, तथा देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
9. फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रण के सत्यापन की मूल प्रति देयक के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी।
10. फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रण के लिये समयावधि का निर्धारण करने का अधिकार विभाग का होगा।
11. निविदा की दर स्वीकृत होने के उपरांत फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रक को 100 रु0 के स्टाम्प पेपर में अनुबंध करना होगा।
12. विभाग द्वारा 15 दिवस पूर्व फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रक को सूचित कर हटाने का विकल्प होगा।
13. शर्तों का उल्लंघन करने पर फ्लेक्स, पम्पलेट मुद्रक को हटाया जा सकेगा, तथा संबंधित मुद्रित फ्लेक्स, पम्पलेट के देयक का भुगतान भी रोका जा सकेगा।
14. निविदा द्वारा निर्धारित किराये की दर 31 मार्च 2018 तक प्रभावशील होगी।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, कोरिया का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा, कि निविदा में निर्धारित समस्त शर्तें प्रस्तुतकर्ता को मान्य हैं।

निविदा स्वीकार करने की प्रक्रिया –

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं से प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा के आधार पर मुद्रण दर मान्य की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट-छांट/उपरिलेखन होने पर निविदा मान्य नहीं की जा सकेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने की लिखित सूचना के एक सप्ताह के अंदर, सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को शर्तों के अधीन 100/- के स्टाम्प पेपर में 31 मार्च 2018 तक मुद्रण कार्य करने हेतु अनुबंध करना आवश्यक होगा।

4. अनुमोदित दर अनुबंध दिनांक से 31 मार्च 2018 तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि में मुद्रण दर में किसी भी तरह वृद्धि संभव नहीं होगी।
5. अनुबंधित दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि का भुगतान संभव नहीं होगा।
6. न्यूनतम दर के आधार पर अधिकतम 2 निविदा प्रस्तुतकर्ता फ्लेक्स, पेम्पलेट मुद्रक हेतु अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया द्वारा किया जा सकेगा, बशर्ते निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा वांछित शर्तों व नियमों का विधिवत् पालन किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया
बैकुण्ठपुर, छ0ग0